राजस्थान सरकार

अति आवश्यक जरिये ई–मेल

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001

दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

क्रमांकः–निदे / अनिखा / पर्या / वेट ड्रिलींग / 2015 / 1640 – 1702 दिनांक 26 .08.2019

अतिरिक्त निदेशक खान, जोन– जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
अधीक्षण खनि अभियंता वृत– जयपुर / जोधपुर / अजमेर / भीलवाड़ा / राजसमंद / उदयपुर / बीकानेर / कोटा / भरतपुर।
खनि अभियंता– जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / अजमेर / बीकानेर / सिरोही / सीकर / अलवर / आमेट / राजसमन्द–प्रथम / द्वितीय / बून्दी–प्रथम / द्वितीय / नागौर / रामगंजमंडी / झून्झूनू / सोजतसिटी / भीलवाड़ा / धौलपुर / बिजौलिया / चित्तौड़गढ़ / मकराना / करौली / प्रतापगढ़ / ब्यावर / डूँगरपुर / जालौर / बॉसवाड़ा / श्रीगंगानगर / बाड़मेर / जैसलमेर / भरतपुर
सहायक खनि अभियंता–
सलूम्बर / ऋषभदेव / टोंक / बालेसर / निम्बाहेड़ा / कोटपूतली / गोटन / झालावाड़ / सवाईमाधोपुर / बांरा / दौसा / चूरू / हनुमानगढ़ / नीमकाथाना / रूपवास / सावर / ब्यावर

विषय :– सैण्डस्टोन खनन पट्टों / क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क उपयोग करने बाबत्।

संदर्भ :–शासन पत्रांक प.14(6)खान / ग्रुप–2 / 2015पार्ट–55 जयपुर, दिनांक 22.08.2019 (प्रति संलग्न).

महोदय,

राज्य के जिन जिलों में सैण्डस्टोन खनन का कार्य किया जाता हैं, वहाँ पर खान श्रमिकों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण सामने आये हैं। विभाग द्वारा इस दिशा में खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति एवं डस्ट मास्क के उपयोग के सम्बन्ध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(2)(X) व (XI) में भी प्रावधान किया जाकर सैण्डस्टोन खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति अपनाये जाने हेतु सभी खननपट्टा धारकों / क्वारी अनुज्ञापत्र धारकों को पाबन्द किया हुआ हैं परन्तु इसके बावजूद नियमों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी शासन / निदेशालय स्तर से कई बार निर्देशित किया जा चुका हैं।

शासन निर्देशानुसार पुनः आपको निर्देशित किया जाता हैं कि वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग की दृष्टि से खानों / क्वारी अनुज्ञापत्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जावें। वैट ड्रिलिंग का उपयोग / डस्ट मास्क प्रयोग में नहीं लेने वाले खनन पट्टाधारियों / क्वारी लाइसेंस धारियों को नियमानुसार दण्डित करने की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जावें। इसमें खनन पट्टा / क्वारी लाइसेंस को खण्डित करना भी सम्मिलित हैं।

उक्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ–साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि आप सिलिकोसिस की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तर पर PHC/CHC, जिला प्रशासन, खनन पट्टाधारियों / क्वारी लाइसेंसधारियों के एसोसियेशन, खनन श्रमिक एसोसियेशन, एन0जी0ओ0 आदि के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त टीमें बनाकर सिलिकोसिस प्रभावित / संभावित खनन क्षेत्रों में खान मालिकों / श्रमिकों में जागृति उत्पन्न करने तथा नियमों

Scanned by CamScanner

की प्रभावी क्रियान्वति के लिये त्रैमासिक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन कराना भी सुनिश्चित करावें। इन शिविरों में निदेशालय स्तर/जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का भाग लिया जाना भी आवश्यक होगा। इन जिलेवार आयोजित शिविरों का कार्यवाही विवरण मय फोटोग्राफ अधीक्षण खनि अभियन्ता स्तर पर संकलित किया जाकर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाकर शासन को अग्रेषित की जा सकें।

उक्त निर्देशों की पालना कडाई से सुनिश्चित की जाकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जे.के.उपाध्याय)IAS
निदेशक

क्रमांकः–निदे/अनिखा/पर्या/वेट ड्रिलींग/2015/1703-1711 दिनांक 26.08.2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक खान–मुख्यालय/पर्यावरण एवं विकास/सर्तकता ।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रभारी अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एम. को प्रेषित कर निवेदन हैं कि विभागीय वेबसाईट पर उपरोक्त पत्रों को उपलोड करने की कार्यवाही करावें।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता, मुख्यालय प्रथम/द्वितीय/तृतीय।

26-8-19

(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

DMGOMS

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

खान(ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.14(6)खान/ग्रुप–2/2015पार्ट–55 जयपुर, दिनांकः 22 AUG 2019

Most Imp.

निदेशक,

खान एवं भू–विज्ञान विभाग,

उदयपुर।

विषयः– सैण्डस्टोन खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क उपयोग करने बाबत।

राज्य के कतिपय जिलो में सेण्डस्टोन का खनन कार्य किया जाता है वहाँ पर खान श्रमिकों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण सामने आये है। सिलिकोसिस की बीमारी से बचने के उपाय निरोधात्मक ही हो सकते है जिसके तहत सिलिकामय धूल के कणों को स्वास में जाने से रोका जाना होता है। इस दिशा में खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति को अपनाया जाना अत्यत आवश्यक है। वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(2)(x) व (xi) में भी प्रावधान किया गया है।

खान विभाग द्वारा सेण्डस्टोन खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति अपनाये जाने हेतु सभी खनन पट्टाधारको/क्वारी अनुज्ञापत्र धारकों को पाबंद किया हुआ है परंतु इसके बावजूद नियमों की कड़ाई से पालना नही की जा रही है, इस संबंध में आपको पूर्व में भी शासन स्तर से कई बार निर्देशित किया जा चुका है पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग की दृष्टि से भी विभाग के अधिकारियों द्वारा खानों/क्वारी अनुज्ञापत्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जावे। वैट ड्रिलिंग का उपयोग/डस्ट मास्क प्रयोग में नहीं लेने वाले खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंस धारियों को नियमानुसार दण्डित करने की कठोर कार्यवाई अमल में लाई जावे। इसमें खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स को खण्डित करना भी सम्मिलित है।

उक्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ–साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप सिलिकोसिस की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तर पर PHC/CHC, जिला प्रशासन, खनन पट्टाधारियो/क्वारी लाइसेंसधारियों के एसोसियेशन, खनन श्रमिक एसोसियेशन, एन0जी0ओ0 आदि के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त टीमे बनाकर सिलिकोसिस प्रभावित/संभावित खनन क्षेत्रों में खान मालिकों/श्रमिकों में जागृति उत्पन्न करने तथा नियमों की प्रभावी क्रियान्वति के लिये नियमित रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन कराना सुनिश्चित करावें। इन शिविरो में निदेशालय स्तर/जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का भाग लिया जाना भी आवश्यक होगा। इन जिलेवार आयोजित शिविरों का कार्यवाही विवरण मय फोटोग्राफ निदेशालय स्तर पर संकलित कर शासन को त्रैमासिक रूप से भिजवायें।

उक्त निर्देशों की पालना कडाई से सुनिश्चित की जाए।

22.8.2019

(सुदर्शन सेठी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

ADM (E&D)

26/8